दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

4वां एवं 5वां तल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली–06
(हमारी वेबसाइट देखें : http://dpcc.delhigovt.nic.in/)

वायु एवं जल अधिनियमों के तहत स्थापना / संचालन / नवीनीकरण हेतु सहमति तथा खतरनाक अपशिष्ट(प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमापार संचालन) नियम के तहत ऑथोराइजेशन हेतु आवेदन के संबंध में सार्वजनिक सूचना।

ध्यान दें

सभी कार्यरत औद्योगिक इकाइयां / प्रतिष्ठान जो कि मौजूदा योजनाबद्ध औद्योगिक क्षेत्रों / पुर्नविकास के क्षेत्र(अस्वीकृत औद्योगिक इकाइयों का सकेंद्रित समूह) जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये हैं एवं एमपीडी–2021 में दिये गये हैं, ऑटोमोबाइल सेवा इकाइयों, रेडिमेड वस्त्र निर्माण इकाइयां व होटल / रेस्टोरेंट / ईटिंग हाऊस / बैंक्वेट हॉल / पार्टी लॉन / मिठाई की दुकान / ढाबों / क्लब आदि जो कि रा.रा.क्षे.दिल्ली के स्वीकृत क्षेत्रों में दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार चल रहे हैं।

• वायु(प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अनुभाग 21 के अनुसार, तिथि में संशोधन के अनुसार, दिल्ली के वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना / परिचालन(कोई भी संयंत्र जिसका इस्तेमाल औद्योगिक व व्यापार के उद्देश्य से हो) के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति(दि.प्र.नि.स) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

• जल(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुभाग 25 / 26 के अनुसार, तिथि में संशोधन के अनुसार, इकाइयों द्वारा निष्कासित अवजल के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति(दि.प्र.नि.स.) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

• खतरनाक अपशिष्टों(प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमापार संचालन) नियम, 2008 के नियम 4 के अनुसार, तिथि में संशोधन के अनुसार खतरनाक अपशिष्टों की सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ संभालने की जिम्मेदारी स्थापन के अधिष्ठाता की होगी कि वह उपरोक्त नियमों के तहत खतरनाक अपशिष्ट को रजिस्ट्रीकृत या प्राधिकृत रीसाइक्लर अथवा री–प्रोसेसर अथवा री–यूज़र को भेजें या बेचें अथवा निपटान हेतु किसी प्राधिकृत सुविधा को दें।

• खतरनाक अपशिष्ट नियम के नियम 5 के अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति जो खतरनाक अपशिष्टों के उत्पादन, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, नष्ट करने, संरक्षण, विक्रय के लिए प्रस्ताव करने, अंतरण या उसी के कार्य में लगे हैं, को निर्धारित फॉर्म 1 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(दिल्ली के मामले में दि.प्र.नि.स.) से ऑथोराइजेशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करना आवश्यक है।

• दिनांक 14.10.2003 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिखित याचिका(सिविल) संख्या. 1995 की 657 में रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नॉलजी, नेशनल रिसोर्स पॉलिसी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के मामले में जारी आदेश में संबंधित इकाइयों को खतरनाक अपशिष्टों से संबंधित सूचना को प्रदर्शित करने और खतरनाक अपशिष्टों के नियमों के प्रावधानों का पालन न करने पर इकाइयों को बंद करने का निर्देश दिया।

• सभी कार्यरत औद्योगिक इकाइयां / प्रतिष्ठान जो कि मौजूदा योजनाबद्ध औद्योगिक क्षेत्रों / पुर्नविकास के क्षेत्र(अस्वीकृत औद्योगिक इकाइयों का सकेंद्रित समूह) जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये हैं एवं एमपीडी–2021 में दिये गये हैं, ऑटोमोबाइल सेवा इकाइयों, रेडिमेड वस्त्र निर्माण इकाइयां व होटल / रेस्टोरेंट / ईटिंग हाऊस / बैंक्वेट हॉल / पार्टी लॉन / मिठाई की दुकान / ढाबों / क्लब आदि जो कि रा.रा.क्षे.दिल्ली के स्वीकृत क्षेत्रों में दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार चल रहे हैं, को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त वायु एवं जल अधिनियमों के तहत स्थापना / संचालन / नवीनीकरण हेतु सहमति तथा उपरोक्त खतरनाक अपशिष्ट नियमों(यदि लागू हों) के तहत ऑथोराइजेशन प्राप्त करने के लिए निर्धारित फॉर्म, निर्धारित सहमति एवं ऑथोराइजेशन शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ दि. प्र. नि.स. को तुरंत आवेदन करें।(यदि अभी तक नहीं किया है / प्राप्त नहीं किया है।)

• उद्योग एवं इकाइयां जो कि दिल्ली के मास्टर प्लान का अनुपालन नहीं करते हैं वे माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07.05.2004 को लिखित याचिका(सी) संख्या. 1985 के 4677 में एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के मामले में जारी आदेशों के अनुसार उन्हें दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों / अस्वीकृत क्षेत्रों में चलने की अनुमति नहीं है इसलिए इन उद्योगों / इकाइयों को उपरोक्त वायु एवं जल अधिनियम व खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत दि. प्र. नि.स. द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है।

• आवेदन फॉर्म एवं अन्य सूचना दि.प्र.नि.स. के पूछताछ काउंटर, 6वां तल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली से किसी भी कार्यदिवस को प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन फॉर्म दि.प्र.नि.स. की वेबसाइट http://dpcc.delhigovt.nic.in से डाउनलोड भी किए जा सकते हैं। यदि गतिविधि हरित श्रेणी में आती है तो ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

• वायु एवं जल अधिनियम के तहत सहमति व खतरनाक अपशिष्ट(प्रबंधन, हैंडलिंग व सीमापार संचालन) नियमों, 2008 के तहत ऑथोराइजेशन प्राप्त करने में असफल होने पर वर्णित अधिनियमों व पर्यावरण(सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित करती हैं।

अतिरिक्त सूचना व विवरण हेतु दि.प्र.नि.स.(डीपीसीसी) की वेबसाइट http://dpcc.delhigovt.nic.in देखें।

ह0 / –
सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.स.

DIP/0415/2015-16

पेज 2, नवभारत टाइम्स, दिल्ली 10.06.2015

IT cell/868
10/6/15